न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :— 65/15 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :— 2015/00346

उनवान

1. खान सिंह पुत्र स्व0 बाकर सिंह
2. भगवान सिंह पुत्र बाकर सिंह

} जाति राय सिक्ख नि0 पापडा तहसील पहाडी जिला भरतपुर।

.....................अपीलाण्ट

बनाम

अब्दुल रहीम पुत्र सुब्वन जाति मेव निवासी पापडा तहसील पहाडी जिला भरतपुर।

.... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 24.06.1996 प्रकरण संख्या 133/95 उनवान अब्दुल रहीम बनाम खान सिंह, न्यायालय सहायक कलक्टर, कॉमा।

अभिभाषकगण :—

1. श्री महाराज सिंह डागुर अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. रैस्पो0 अभिभाषक अनुपस्थित ।

निर्णय   दिनांक :—18.10.2021

1. यह अपील इस न्यायालय में सहायक कलक्टर, कॉमा के निर्णय दिनांक 24.06.1996 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो0 ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 697/0.15 एआर वाके ग्राम पापडा तहसील पहाडी वादी/रैस्पो0 की अन्य आराजीयात के बीचो बीच स्थित है एवं कोई डौल मैढ नहीं है। विवादित आराजी को वादी/रैस्पो0 संवत 2012 के पूर्व से ही काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादी/अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध सारोकार नहीं है एवं ना ही उनका कब्जा काश्त है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी पर प्रतिवादी/अपीलाण्ट के नाम का अंकन होता चला आ रहा है। अतः वादी/रैस्पो0 पुराने कब्जे के आधार पर स्वयं को विवादित आराजी पर खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.1996 से डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। रैस्पो0 के अभिभाषक एवं स्वयं रैस्पो0 को बार—बार

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज0)

आवाज दिलवाये जाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं आये। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट ने कोई इकबाल दावा, रैस्पो० के हक में प्रस्तुत नहीं किया है। तथाकथित इकबाल दावा कूटरचित एवं बनावटी दस्तावेज है। अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसे कूटरचित दस्तावेज पर विश्वास करते हुये, अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी त्रुटि की है। अपीलाण्ट राजस्व अभिलेख में विवादित आराजी पर खातेदार काश्तकार दर्ज है एवं अपीलाण्ट का ही विवादित आराजी पर कब्जा काश्त है। रैस्पो० का विवादित आराजी से कोई संबंध सारोकार नहीं है एवं ना ही उनका कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो सम्मन अपीलाण्ट को भिजवाये गये हैं उनके अपीलाण्ट के हस्ताक्षर बनावटी एवं कूटरचित हैं। विवादित आराजी पर रैस्पो० को किसी भी कानून से अधिकार खातेदारी प्राप्त नहीं होते हैं। काश्तकारी अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 13, 15 व 19 के प्रावधानो के अन्तर्गत सृजित होते हैं जिन्हे राजस्व अभिलेख से प्रमाणित करना होता है। इकबाल दावा के आधार पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान ना देते हुये, अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुये, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इकबाल दावा के आधार पर वादी/रैस्पो० को विवादित आराजी पर खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। हमने मनन किया। इकबाल दावा के माध्यम से कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का हस्तांतरण नहीं कर सकता एवं न्यायालय भी इस प्रकार के हस्तांतरण को मूक रह कर नहीं देख सकता है। किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकारो का सृजन, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 13, 15, 19 से ही हो सकता है। इसके अलावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 41, 42 अनुसार खातेदारी अधिकारों का हस्तांतरण केवल मात्र विक्रय, दान अथवा वसीयत से हो सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में उक्त में से एक भी माध्यम नहीं हैं। अतः खातेदारी अधिकारों का हस्तांतरण अवैध व शून्य है। वादी/रैस्पो० को विक्रय, दान इत्यादि के आधार पर अधिकार सृजित हो सकते थे, परन्तु अपीलाधीन दावा विक्रय, दान इत्यादि के आधार पर नहीं लाया गया है। केवल तर्क के लिए रैस्पो० का विवादित भूमि पर कब्जा, अपीलाण्ट को पृथक करते हुए माना भी जावें तो भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में मात्र कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार सृजन/हस्तांतरण का प्रावधान नहीं है। यह कब्जा विधि अनुरूप होना आवश्यक है। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अधिकारो का सृजन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में नहीं हो सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल इकबाल दावा के आधार पर अपीलाधीन डिक्री पारित करने में कानूनी भूल की है। वैसे तो अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पूर्ण रूप से ही विधिक प्रावधानो के विपरीत है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी/अपीलाण्ट द्वारा इकबाल दावा प्रस्तुत किया है एवं हस्तगत अपील में प्रतिवादी/अपीलाण्ट उक्त इकबाल दावे को फर्जी व कूटरचित

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज०)

अखिलेश कुमार पिप्पल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज०)

होना कथन करते हैं। पक्षकार न्याय की अनुभूति से वंचित ना हो। अतः हम न्यायहित में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कॉमा के निर्णय व डिक्री दिनांक 24.06.1996 खारिज किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त तथ्यो की पृष्ठभूमि में उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 18.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18.10.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज०)